

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 116/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21-03-2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना लंका महेश पाण्डेय मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मुरारी चौक के पास मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि लंका की तरफ से एक पिकअप आ रही है, जिसमें अवैध शराब लदी हुई है। उक्त सूचना पर थाना लंका पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त पिकअप वाहन का इंतजार करने लगी, थोड़ी देर में एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, मुखबिर की निशानदेही पर उसे रूकने हेतु इशारा किया गया तो उक्त वाहन पर सवार चालक उतरकर अन्धेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गया। उक्त पिकअप वाहन को चेक किया गया तो उसके डाले में प्लास्टिक की त्रिपाल से ढकी हुई 20 पेटी सुपर स्पीड विस्की जिसमें से एक पेटी खोलकर देखा गया तो एक पेटी में 48 प्लास्टिक की शीशीयां थी, जिस पर SUPER SPEED WHISKY INDUSTRIAL AREA PHASE-II CHANDIGARH SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY तथा मात्रा 180 ML लिखा था, इस प्रकार कुल 960 शीशीयां में 172.8 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। बरामद अवैध शराब व वाहन को समय करीब 04.15 बजे कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना लंका में मु0अ0सं0 279/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*बरामदगी का विवरण\*-

1. कुल 20 पेटी सुपर स्पीड विस्की, जिसमें प्रत्येक पेटी में 48 प्लास्टिक की शीशीयां व प्रत्येक शीशी 180 ML की (इस प्रकार कुल 960 शीशीयां में 172.8 लीटर 8अवैध शराब)
2. पिकअप वाहन संख्या UP 65 R 6890

\*पुलिस टीम का विवरण\*-

- प्रभारी निरीक्षक महेश पाण्डेय, उश्रीप्रकाश सिंह 0नि0, हे 0का0नागेन्द्र यादव, काअभ्युदय 0, कादीनानाथ 0, काउमंग सिंह 0

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 117/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

**\*थाना रोहनियां पुलिस द्वारा चोरी की बैटरी के साथ एक अभियुक्त सुभाष सिंह चौहान गिरफ्तार,  
कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व तीन अदद कारतूस 315 बोर बरामद\***

आज दिनांक 21.03.2021 को थाना रोहनियां के उ०नि० अजय कुमार यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक चोरी की बैटरी के साथ टडिया (हनुमान मन्दिर) के पास खड़ा है जो किसी वाहन का इंतजार कर रहा है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास करके थाना रोहनियां पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर उक्त स्थान से बैटरी के साथ खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुभाष सिंह चौहान पुत्र मन्नालाल चौहान निवासी करनाडाड़ी (टडिया) थाना रोहनियां जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष बताया, जिसके पास से चोरी की एक अदद बैटरी (एमरान) सम्बन्धित मु०अ०सं० 140/2021 धारा 380/411 भादवि बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व तीन अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 0184/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 04.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*:-**

- सुभाष सिंह चौहान पुत्र मन्नालाल चौहान निवासी करनाडाड़ी ( टडिया ) थाना रोहनियां जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण\*:-**

- 1 - एक अदद चोरी की बैटरी (एमरान) सम्बन्धित मु०अ०सं० 140/2021 धारा 380/411 भादवि
- 2 - एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व तीन अदद कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मु०अ०सं० 0184/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

**\*आपराधिक इतिहास\*:-**

1. मु०अ०सं० 140/21 धारा 380 IPC थाना रोहनियां जनपद वाराणसी ।
2. मु०अ०सं० 0184/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां जनपद वाराणसी ।

\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-\*

- उ0नि0 अजय कुमार यादव, उ0नि0 इमरान खान, उ0नि0 रामप्रकाश यादव, हे0का0 रवि प्रकाश सिंह थाना रोहनियां वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 118/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 20.03.2021 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 मो0 सरवर मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के सरसौल पिकेट मौजूद थे कि एक टाटा मैजिक वाहन जिसका नंबर UP 67 T 9626 भगतुआ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त टाटा मैजिक वाहन का चालक व उसका साथी वाहन रोककर भागने लगे, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार चौबे उर्फ मनीष चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे निवासी ग्राम धरसौना थाना चोलापुर वाराणसी तथा चालक के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र राम पुत्र अशोक राम निवासी ग्राम छाता थाना दुर्गावती जिला भभुआ कैमूर बिहार बताया। उक्त वाहन की तलाशी ली गयी तो उक्त वाहन टाटा मैजिक से दो अदद गाय व एक अदद बछड़ा बरामद हुआ। उक्त के संबंध में थाना चौबेपुर में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 0152/2021 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर, अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 18.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा बरामद वाहन टाटा मैजिक को 207 MV ACT के अन्तर्गत सीज किया गया।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. पवन कुमार चौबे उर्फ मनीष चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे निवासी ग्राम धरसौना थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 32वर्ष
2. धर्मेन्द्र राम पुत्र अशोक राम निवासी ग्राम छाता थाना दुर्गावती जिला भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 30वर्ष

\*पंजीकृत अभियोग का विवरण\* -

- मुस0अ0ं0152 0/3 धारा 2021//क58 गोवध निवारण अधि 0पशु क्रूरता अधि 11 व 0 थाना चौबेपुर वाराणसी

\*बरामदगी का विवरण\*

- दो अदद गाय व एक अदद बछड़ा, टाटा मैजिक वाहन सं 0UP 67T 9626

\*गिरफ्तारी टीम का विवरण:\*-

- उ०नि०मोसरवर ०, उआदित्य मिश्रा ०नि०, हे०का० योगेन्द्र कुमार यादव, काआदर्श कुमार ०, का बजरंगी शाह थाना चौबेपुर वाराणसी ०

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 119/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

**\*आज दिनांक 21.03.2021 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण आकाश कुमार, अजय राजभर, मो0 सद्दाम व बृजेश कुमार सोनी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के सफेद धातु के आभूषण व अन्य सामान, रू0 1500 नगद आदि बरामद\***

आज दिनांक 21.03.2021 को उ0नि0 उपेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कर्मचारीगण के साथ देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में लमहीं तिराहा पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 04 संदिग्ध व्यक्ति रिंग रोड आजमगढ़ अण्डरपास के नीचे चोरी की बातें कर रहे हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर उक्त चारों व्यक्तियों को घेरघार कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर चारों ने अपना नाम क्रमशः (1) आकाश कुमार पुत्र छोटू पासवान निवासी हाल पता दैत्रावीर मन्दिर के पास थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी, स्थायी पता ग्राम रसड़ा थाना दूधपुरा जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष, (2) अजय राजभर पुत्र स्व0 सेचन राजभर निवासी रमदत्तपुर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी स्थायी पता ब्लाक नं0 83 काशी राम कालोनी थाना कोतवाली जिला अयोध्या उम्र करीब 37 वर्ष, (3) मो0 सद्दाम पुत्र स्व0 मो0 अनवारूल निवासी छोटालालपुर गजानन्द अपार्टमेन्ट के पीछे थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी स्थायी पता ग्राम खागरा पासवान टोला थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 28 वर्ष व (4) बृजेश कुमार सोनी पुत्र गंगाशरण सोनी निवासी ग्राम हाशिमपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष बताया। अभियुक्तगण की जामा तलाशी ली गयी तो कुल रू0 1500/- नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0120/2021 धारा 457/380/411 भादवि), मोटरसाइकिल के हैण्डल में टंगे एक सफेद झोले से सफेद धातु के आभूषण एवं 5 व 10 रूपये के सिक्के (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0036/2021 धारा 457/380/411 भादवि) बरामद हुए। अभियुक्त बृजेश कुमार सोनी उपरोक्त के पास सफेद धातु के एक अदद कटोरी, चम्मच व तीन जोड़ी बिछिया बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0123/2021 धारा 41/411/413/414 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*विवरण पूछताछ-\***

अभियुक्तगण आकाश, अजय व मो0 सद्दाम ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते बताया कि हम तीनों दोस्त है एवं हमलोग साथ मिलकर चोरी करते हैं तथा चोरी से प्राप्त धन को आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं। हमलोग चोरी से प्राप्त आभूषण व सामान को चौथे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताये कि इन्ही बृजेश सोनी को बेच देते हैं, इनकी सोनी जवैलर्स नाम की दुकान हाशिमपुर में है। विक्रय धन आपस

में हम तीनों दोस्त बराबर बराबर बांट लेते हैं। कड़ाई से पूछताछ में बताये कि दिनांक 18.03.2021 की रात में हम तीनों ने साथ मिलकर रवि यादव छोटा लालपुर की हार्डवेयर की दुकान से 15,000/- रूपया चोरी किया था, हमारे पास से जो पैसे बरामद हुए है, वो उसी चोरी के पैसों का शेष पैसा है। हम तीनों ने साथ मिलकर लगभग दो महीने पहले शंकरपुरम कालोनी बेनीपुर पहड़िया में एक ताला बन्द घर का ताला तोड़कर एक सोने की चेन, दस हजार रूपये, तथा एक गुल्लक में रखे पांच-छः सौ रूपये के 5 व 10 के सिक्के व खाने पीने का सामान चुराये थे, जो सिक्के बरामद हुए है, वो इसी चोरी के है। बरामद आभूषणों के सम्बन्ध में बताये कि हम लोगो ने भिन्न भिन्न जगहों से चोरी किये थे, जो हमें याद नहीं है, चोरी से प्राप्त आभूषणों को बृजेश सोनी को बेच दिये है।

अभियुक्त बृजेश कुमार सोनी उपरोक्त से पूछताछ की गया तो बताया कि मैं इनसे चोरी का आभूषण सस्ते दाम में खरीदता हूँ और उन आभूषणों को गलाकर ऊंचे दामों में ग्राहकों को बेच देता हूँ। मेरे पास से बरामद कटोरी, चम्मच व बिछिया चोरी के ही चांदी द्वारा गलाकर बनाया गया है, आज भी इनसे चोरी के आभूषण खरीदने आया था कि पकड़ा गया।

#### **\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

1. आकाश कुमार पुत्र छोटू पासवान निवासी हाल पता दैत्रावीर मन्दिर के पास थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी, स्थायी पता ग्राम रसड़ा थाना दूधपुरा जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष
2. अजय राजभर पुत्र स्व० सेचन राजभर निवासी रमदत्तपुर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी स्थायी पता ब्लॉक नं० 83 काशी राम कालोनी थाना कोतवाली जिला अयोध्या उम्र करीब 37 वर्ष
3. मो० सद्दाम पुत्र स्व० मो० अनवारूल निवासी छोटालालपुर गजानन्द अपार्टमेंट के पीछे थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी स्थायी पता ग्राम खागरा पासवान टोला थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 28 वर्ष
4. बृजेश कुमार सोनी पुत्र गंगाशरण सोनी निवासी ग्राम हाशिमपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष

#### **\*बरामदगी का विवरण-\***

चोरी की दो अदद गले की चेन सफेद धातु की, 04 जोड़ी पायल सफेद धातु की, एक जोड़ी छोटी पायल सफेद धातु की, एक अदद कटोरी व एक अदद चम्मच सफेद धातु का, छः जोड़ी बिछिया सफेद धातु की, एक अदद ब्रेसलेट सफेद धातु का, 02 अदद कड़ा सफेद धातु का, री० 1500/- नगद व 520 रूपये के 5 व 10 के सिक्के

#### **\*अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-\***

1. मु०अ०सं० 0123/2021 धारा 41/411/413/414 भा०द०वि० थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 0120/2021 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0036/2021 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

1. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
2. उ0नि0 राजकुमार वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
3. उ0नि0 प्रदीप यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
4. उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
5. का0 संतोष वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
6. हे0का0 अशोक कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
7. का0 आशीष उमरांव थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 120/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21.03.2021 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0146/2021 धारा 34/147/323/353/332/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील उर्फ करीबन उर्फ तालीबान पुत्र प्रकाश बिन्द निवासी डी 64/8 धोबियाना गली माधोपुर थाना सिगरा वाराणसी उम्र 28 वर्ष को फलमण्डी के पास से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- सुनील उर्फ करीबन उर्फ तालीबान पुत्र प्रकाश बिन्द निवासी डी 64/धोबियाना गली माधोपुर थाना 8 वर्ष 28 सिगरा वाराणसी उम्र

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. उ0नि0 अजीत पासवान थाना सिगरा वाराणसी ।
2. हे0कां0 राजेन्द्र सिंह थाना सिगरा वाराणसी ।
3. कां0 गौरव कुमार थाना सिगरा वाराणसी ।
4. हे0कां0 परवेज खान थाना सिगरा वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 121/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21.03.2021 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0157/2021 धारा 457/380/34/411 भादवि से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण (1) नसीम अहमद पुत्र अब्दुल कादिर निवासी N 12/361 A 1 P 2 आजाद नगर देवपोखरी बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष, (2) नूर मोहम्मद उर्फ राजू पुत्र मो0 इलियास निवासी N 12/266 किरायेदार मकान मालिक इकबाल उर्फ तनजी नोल नूरनगर देवपोखरी बजरडीहा थाना भेलूपुर उम्र करीब 27 वर्ष, (3) प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पुत्र दिनेश लाल श्रीवास्तव निवासी N 12/266 देवपोखरी नूरनगर बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष व (4) अक्षय कुमार बिंद पुत्र वासुदेव बिंद निवासी N 12/256 चौरी माता मंदिर जख्खा बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को हनुमान मन्दिर सुदामापुर तिराहे के पास से समय करीब 04.45 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान एवं नसीम अहमद व अक्षय कुमार बिंद के कब्जे से 01-01 अदद लोहे का नाजायज चाकू बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नसीम अहमद एवं मु0अ0सं0 160/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अक्षय कुमार बिंद पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण पूछताछ-\*

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम चारों ने मिलकर दिनांक 19/03/2021 की रात में मोहल्ला नूरनगर बजरडीहा स्थित साड़ी की बुनाई के कारखाने में चोरी की थी, चौरी से प्राप्त हुए सामान को आज बेचने हेतु ले जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिये गये।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. नसीम अहमद पुत्र अब्दुल कादिर निवासी N 12/361 A 1 P 2 आजाद नगर देवपोखरी बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष
2. नूर मोहम्मद उर्फ राजू पुत्र मो0 इलियास निवासी N 12/266 किरायेदार मकान मालिक इकबाल उर्फ तनजी नोल नूरनगर देवपोखरी बजरडीहा थाना भेलूपुर उम्र करीब 27 वर्ष
3. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पुत्र दिनेश लाल श्रीवास्तव निवासी N 12/266 देवपोखरी नूरनगर बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष
4. अक्षय कुमार बिंद पुत्र वासुदेव बिंद निवासी N 12/256 चौरी माता मंदिर जख्खा बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

### \*बरामदगी का विवरण-\*

1. \*नसीम अहमद उपरोक्त\* की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए प्लास्टिक की बोरी से एक अदद 14 इंच LCD रंग काला जिस पर लगे हुए स्टीकर पर अंग्रेजी में LCD HDTV अंकित है तथा एक अदद नाजायज चाकू (लोहा) बरामद हुआ।
2. \*नूर मोहम्मद उर्फ राजू उपरोक्त\* की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिये प्लास्टिक की बोरी से एक अदद DVR CP PLUS, एक अदद CCTV Adopter 12 Bolt रंग सफेद, एक चार्जर swithing Adoptor Black Colour with Lead व एक अदद माऊस रंग काला बरामद हुआ ।
3. \*प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त\* की जामा तलाशी से बांये हाथ में लिए एक बोरी से कच्चे धागे बुनाई के कुल 08 छोटे बड़े बण्डल बरामद हुआ।
4. \*अक्षय कुमार बिंद उपरोक्त\* की जामा तलाशी से दाहिने हाथ मे लिए हुये एक मट मैले कपड़े में बधे हुये 02 अदद सूट के कपड़े जिसमें एक थान नीला जिस पर गोल्डेन कढ़ाई है लम्बाई लगभग 08 मीटर एवं एक अदद सूट का कपड़ा रंग बूटीदार गोल्डेन कढ़ाई लम्बाई लगभग 10 मीटर तथा एक अदद लोहे का नाजायज चाकू बरामद हुआ।

### \*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्र थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
2. उ0नि0 अजय वर्मा चौकी प्रभारी बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
3. उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
4. मुख्य आरक्षी रघुनाथ गौतम थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
5. मुख्य आरक्षी अखिलेश यादव थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
6. आरक्षी अर्जुन कुमार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
7. आरक्षी रविन्द्र सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
8. आरक्षी चन्दन कुमार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
9. आरक्षी विपिन पासवान थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 122/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21/03/2021 को नगर नियंत्रण कक्ष वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर को बताया गया कि अजय पटेल द्वारा सूचना दी गई है कि सब्जी मंडी लालपुर के पास रूपये 10,00,000/- (दस लाख रूपये) की लूट हो गई है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना लालपुर-पाण्डेयपुर द्वारा पुलिस बल लेकर मौके पर पहुँचकर जाँच की गयी तो वहाँ अजय पटेल पुत्र स्व0 गोपाल पटेल निवासी रमसीपुर थाना रोहनियां जनपद वाराणसी मौजूद मिले, आस पास के दुकानदारों से घटना के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि घटना गलत है।

अतः अजय पटेल पुत्र स्व0 गोपाल पटेल निवासी रमसीपुर थाना रोहनियां वाराणसी के विरुद्ध थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में प्रभारी निरीक्षक लालपुर-पाण्डेयपुर की तहरीर के आधार पर एन0सी0आर0 संख्या 03/2021 धारा 203 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 123/2021 दिनांक: मार्च, 21/2021

\*प्रेस नोट\*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 220 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4139 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 470 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 152 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2406 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 135 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।